भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1530

31 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

पीडीएस के अंतर्गत लाभार्थियों को शामिल करना

1530. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी पात्र लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है, जिसमें कवरेज सुधार के बारे में हाल के आंकड़े भी शामिल हैं;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार आपूर्ति श्रृंखला विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान संपूर्ण देश में अब तक दर्ज की गई घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसे सुधारों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय बाधाओं का किस प्रकार समाधान कर रही है तथा राज्यों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जवाबदेही के तहत प्रचालित की जाती है। पात्र लाभार्थियों/परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना आदि सहित प्रचालन संबंधी जवाबदेही संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है। टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 3 के उप-खंड (13) के अनुसार, राज्य सरकार से अपात्र परिवारों को हटाने या पात्र परिवारों को शामिल करने के उद्देश्य से पात्र परिवारों की सूची की नियमित रूप से समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है।

.....2/-

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के दायरे में न आने वाली शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के सबसे कमजोर एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान करने तथा उन्हें शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाकर अपनी सम्पूर्ण एनएफएसए सीमा के तहत उपलब्ध कवरेज का उपयोग करें।

(ख) और (ग): केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न की खरीद भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए एकसमान विनिर्देश का सख्ती से अनुपालन करके की जाती है। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न जारी करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया/तंत्र है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को निम्नानुसार निर्देश जारी किए हैं:

(i) टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत केवल अच्छी गुणवत्ता वाले, कीट संक्रमण से मुक्त एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप खाद्यान्न जारी किए जाते हैं।

(ii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को एफसीआई गोदामों से स्टॉक उठाने से पहले उनका निरीक्षण करना चाहिए।

(iii) एफसीआई और राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से टीपीडीएस के तहत जारी किए जाने वाले खाद्यान्न स्टॉक से खाद्यान्न के नमूने सीलबंद पैकेट में एकत्र किए जाते हैं।

(iv) एफसीआई गोदामों से खाद्यान्नों के स्टॉक की सुपुर्दगी लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा, कम से कम एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को तैनात करना चाहिए।

(v) यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वितरण श्रृंखला के विभिन्न चरणों में परिवहन और भंडारण के दौरान, खाद्यान्न में आवश्यक गुणवत्ता विनिर्देश बनाए रखें जाएं ।

(vi) राज्य सरकार, जहां विकेंद्रीकृत खरीद प्रचालित है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीपीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत जारी खाद्यान्न की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011, समय-समय पर यथा-संशोधित, के अन्तर्गत मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

.....3/-

(ड.) से (च): एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, इस अधिनियम की धारा 28 स्थानीय प्राधिकारी, या किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, के माध्यम से उचित दर दुकानों, टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्य की आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान करती है। केंद्र सरकार स्वयं या इस प्रकार की लेखापरीक्षा के संचालन में अनुभव रखने वाली स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा करवा सकती है।

इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 29 टीपीडीएस की पारदर्शिता और उचित कार्य पद्धति तथा इस प्रणाली में पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान करती है।

इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के भाग के रूप में, मौजूदा प्रणाली की दक्षता में सुधार और खाद्यान्नों के लीकेज एवं डायवर्जन जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटिकृत कर दिया गया है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू कर दिए गए हैं, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है तथा 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। अब तक, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख उचित दर दुकानों को लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के द्वारा पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्न वितरण के लिए ईपीओएस उपकरण संस्थापित करके स्वचालित किया गया है।

चूंकि टीपीडीएस संयुक्त जवाबदेही के तहत प्रचालित होता है, जब भी इस विभाग में किसी स्रोत से टीपीडीएस की कार्य-प्रणाली में किसी भी अनियमितता के संबंध में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन शिकायतों को जांच के लिए संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार को भेज दिया जाता है ताकि वे अपने स्तर पर उचित कार्रवाई कर सकें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार, यह आदेश राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इन आदेशों के संगत प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

*****